अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. गुल्ली बेवा गोविन्दा
2. बाबूलाल
3. कस्तूर
4. प्रभू
5. बंशी
6. मदन
   पुत्रान स्व. गोविन्दा
7. बद्री पुत्री स्व. मूल्या
8. ओमप्रकाश
9. विनोद पुत्रान स्व. रुपा
10. संज्या उर्फ कमला बेवा
    स्व. रुपा
    समस्त जाति खटीक निवासी
    ग्राम मीठावास तह. बस्सी।

बनाम

1. सुरेश
2. रमेश
3. घनश्याम
4. दीनदयाल पुत्रान स्व. किशन
5. मनफूली बेवा किशन
   समस्त जाति खटीक निवासी हाल बी–
   टीटी/288, 323, 320 मदनगिरी,
   नई दिल्ली।
6. राजेश
7. मनोज
8. अन्नू पुत्रान स्व. गणपत
9. नीलम
10. ममता पुत्रियां गणपत
11. कस्तूरी बेवा गणपत
12. मनीष
13. भारत पुत्रान किशोर
14. मन्जू
15. सीमा पुत्रियान स्व. किशोर
16. वेदप्रकाश महावर पुत्र नानगराम महावर
    जाति कोली निवासी म.नं. 13/9 बालजी की
    कोठी का रास्ता, कुण्डों की गवाडी घाटगेट
    बाजार, जयपुर।
17. घासी
18. रामधन
19. खैराती पुत्रान सोन्या
    समस्त जाति खटीक निवासी
    ग्राम मीठावास तह. बस्सी जिला जयपुर।
20. तहसीलदार महोदय, बस्सी।
21. उपपंजीयक महोदय, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 33/10 दिनांक 04.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प टहटडा में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 9 स्वयं उपस्थित। जिसकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत टहटडा ने की है। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी पर पूर्व में बहस सुनी गयी। प्रतिवादी सं. 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 9 ने प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के संपूर्ण वादपत्र को पढने से ज्ञात होता है कि वादीगण ने अपना संपूर्ण वाद पत्र एक फर्जी एवं कपोल कल्पित लिखावट संवत 2020 के आधार पर प्रस्तुत किया है लेकिन अपने संपूर्ण वाद में यह कही वर्णित नहीं किया कि वह लिखावट किस दिनांक

Contd...2

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

को किस माह में लिखी गई है यानि वादीगण के वाद का एकमात्र आधार संवत 2020 मे लिखा एक बंटवारानामा है जो भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वादीगण अपने वाद पत्र के माध्यम से प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2007 को निरस्त करवाना चाहते है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है इसलिये वादीगण का वादपत्र क्षेत्राधिकार बाहर होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट लिखा गया है कि सहाकाश्तकारी की भूमि में एडवर्स पजेशन लागू नही होता है इसलिये वादीगण का वाद निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद भारी हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी/वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा न 4 गलत होने से स्वीकार नही है। वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 11.10.07 को निरस्त कराने का कथन ना तो वाद पत्र में वर्णित किया है ना ही अन्तिम रिलिफ में किया है बल्कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.10.07 को वादीगण के अधिकारो के प्रति क्लेम बेअसर व प्रभाव शून्य की रिलिफ चाही है जो राजस्व न्यायालय देने हेतू सक्षम है। वादीगण का वादपत्र कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारो के लिए है। जिसके बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र को पैरा न 5 गलत होने से स्वीकार नही है प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहकाश्तकार नही है बल्कि पारिवारिक बंटवारे लिखावट के तहत सम्मत 2020 में वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण वादीगण को प्राप्त हुई है एवं सम्मत 2020 से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर लगातार काबिज रहकर काश्त कर रहे है पूर्व में एक वाद 1982 में कब्जा वापसी हेतू सोन्या पुत्र नाथू व शंकर पुत्र नाथू के वारिसान ने सक्षम न्यायालय में पेश किया जो कि 1983 मे खारिज हो चुका है। अत वादग्रस्त भूमि पर सम्मत 2020 से कब्जेकाश्त होने से वादीगण कब्जे के आधार पर काबिज खातेदार काश्तकार हो गये है। कानून का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कब्जे का प्रश्न विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसे बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य सबूत के निर्णित नही किया जा सकता है अतः ऐसा वाद पत्र जिसमे कब्जे का प्रश्न अन्तवलित हो 07 आर 11 सी पी सी के तहत खारिज नही किया जा सकता है। वादीगण ने विक्रय पत्र निरस्ती का वाद पत्र पेश नही किया है बल्कि वादीगण के अधिकारो के प्रति क्लेम बेअसर एवं प्रभाव शून्य घोषित करने का निवेदन किया है उक्त रिलिफ राजस्व न्यायालय 207 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत देने हेतू सक्षम है। वादीगण के वादपत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादीगण को वास्तविक वाद कारण उत्पन्न हुआ है व कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों के लिए वाद पत्र पेश किया जिसके संबंध में वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित नही है प्रतिवादी ने

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Co nt--3

अपने प्रार्थना पत्र मे यंह वर्णित नही किया है वादीगण का वाद अमूख विधि व वादपत्र की अमूख कथन से वाद विधि द्वारा वर्जित है प्रतिवादीगण को उक्त तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यकता था जो कि प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है अतः प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। यह कि प्रतिवादीगण ने उक्त वाद पत्र को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी व वकील अप्रार्थी/वादी की प्रार्थना पत्र पर पूर्व में की गई बहस पर मनन करने एवं वकील पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अध्ययन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णनानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नं 11, 12, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, 27, 127, 127 क कुल किता 17 कुल रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम मीठावास, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बांसखोह तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादीया ने वादपत्र पारिवारिक बटंवारा के आधार अर्थात अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर पेश किया है तथा प्रतिवादी सं. 9(केता) के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने हेतु पेश किया है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की श्रेणी में नही है अतः रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 9 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से दाम हो। आज दिनांक 04.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट टहटडा में मजमें आम में सुनाया गया।

4.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

11. गुल्ली बेवा गोविन्दा
12. बाबूलाल
13. कस्तूर
14. प्रभू
15. बंशी
16. मदन
    पुत्रान स्व. गोविन्दा
17. बद्री पुत्री स्व. मूल्या
18. ओमप्रकाश
19. विनोद पुत्रान स्व. रुपा
20. संज्या उर्फ कमला बेवा
    स्व. रुपा
    समस्त जाति खटीक निवासी
    ग्राम मीठावास तह. बस्सी।

बनाम

1. सुरेश
2. रमेश
3. घनश्याम
4. दीनदयाल पुत्रान स्व. किशन
5. मनफूली बेवा किशन
   समस्त जाति खटीक निवासी हाल बी–टीटी/288, 323, 320 मदनगिरी नई दिल्ली।
6. राजेश
7. मनोज
8. अन्नू पुत्रान स्व. गणपत
9. नीलम
10. ममता पुत्रियां गणपत
11. कस्तूरी बेवा गणपत
12. मनीष
13. भारत पुत्रान किशोर
14. मन्जू
15. सीमा पुत्रियान स्व. किशोर
16. वेदप्रकाश महावर पुत्र नानगराम महावर जाति कोली निवासी म.नं. 13/9 बालजी की कोठी का रास्ता, कुण्डों की गवाडी घाटगेट बाजार, जयपुर।
17. घासी
18. रामधन
19. खैराती पुत्रान सोन्या
    समस्त जाति खटीक निवासी
    ग्राम मीठावास तह. बस्सी जिला जयपुर।
20. तहसीलदार महोदय, बस्सी।
21. उपपंजीयक महोदय, बस्सी।

<u>दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नम्बर 33/10

दिनांक 04.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं 11, 12, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, 27, 127, 127 क कुल किता 17 कुल रकबा 17 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम मीठावास, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बांसखोह तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादीया ने वादपत्र पारिवारिक बटंवारा के आधार अर्थात अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर पेश किया है तथा प्रतिवादी सं. 9(क्रेता) के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य घोषित करने हेतु पेश किया है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की श्रेणी में नही है अतः रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी

Contd. 2

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

घोषणा एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 9 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।.....निसी.....

मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....

..फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.....

ओहदा.....

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टोम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी